

प्रपत्र-37

परियोजना विवरण :- पन्तगाँव-चमडखान -शैलापानी मोटर मार्ग का विस्तार(सिमलधार से शैलापानी तक मिलान)

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत


सहायक अभियन्ता
भिकियासेन
जिला - अल्मोड़ा


किसानधिकारी,
अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
नि० ख०, लो० नि० वि०
रानीखेत


प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा




सहायक अभियन्ता
भिकियासेन
जिला - अल्मोड़ा